53

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1713-एक/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 03-04-2014 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ - प्रकरण कमांक 14/2013-14 अपील

1- गादीपाल पुत्र प्रीतम जाटव
2- हरीपाल उर्फ बनवारी पुत्र खूबचंद
3- रामनिवास पुत्र सेवाराम रावत
निवासी सेमई तहसील कैलारस
जिला मुरैना मध्य प्रदेश -- आवेदकगण

विरूद्ध

जगदीश सिंह पुत्र अजमेर सिंह ठाकुर
निवासी सिकरवारी फर्म हाउस सेमई
तहसील कैलारस जिला मुरैना, म0प्र0 ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0शर्मा)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 3 -2016 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 14/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-4-2014 के विरुद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण कमांक 02 अ-74/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2006 से ग्राम सेमई की भूमि सर्वे कमांक 1395/1

रकबा 1.55 में से गादीपाल पुत्र प्रीतम जाटव को 0.29 आरे, हरीपाल उर्फ बनवारी पुत्र खूबचंद 0.29 आरे, रामनिवास पुत्र सेवाराम रावत को 0.42 आरे (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का व्यवस्थापन मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत 2-10-84 के पूर्व का कब्जा प्रमाणित होने से किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष दिनॉक 10-2-14 को अपील क्रमांक 14/2013-14 प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उभय पक्ष को श्रवणोपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 3-4-14 से विलम्ब क्षमा करते हुये प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु गाह्य किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण क्रमांक 02 अ-74/2005-06 में मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आदेश दिनांक 30-9-2006 पारित किया है जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 3-4-14 से अपील गुणदोष पर सुनवाई हेतु ग्राह्य की है। निगरानी में विचार योग्य बिन्दु है कि मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा भूमि व्यवस्थापन वावत पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन

योग्य है ? मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 में अपील का प्रावधान नहीं है और जब अपील का प्रावधान नहीं है अनुविभागीय अधिकारी को अपील श्रवण करने की भी अधिकारिता नहीं है।

(लक्ष्मण विरूद्ध सुरेन्द्र कुमार 1996 रा0नि0 231 तथा मातादीन विरूद्ध अमरसिंह 1992 रा0नि0 402 से अनुसरित) स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 14/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3-4-2014 अधिकारिता-विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 14/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3-4-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः तहसीलदार कैलारस द्वारा प्रकरण क्रमांक 02 अ-74/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2006 यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर